# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 12/2019 निर्णय दिनांक :– 13.1.20

**उनवान**

हरलाल बनाम रामकवांर व अन्य

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0**

प्रतिवादीण संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि

उपरोक्त शीर्षकीय प्रकरण श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है। अप्रार्थी/वादी ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमि विभाजन होना अंकित किया है तथा वाद पत्र के अनुतोष में सम्पूर्ण खाते को शामलाती कर पुनः विभाजन का अनुतोष चाहा है जो दिया जाना कानूनन नियम विरूद्ध है। अप्रार्थी वादी को विभाजन से किसी प्रकार की पीडा है तो प्रकरण अपीलनीय आधार मौजूद है। विवादित आराजी का विधिवत विभाजन हो चुका है तथा पुनः विभाजन किया जाना क्षेत्राधिकार से परे होने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

के कारण वादी वादपत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश हैं अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश होने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वादी वकील को दी गयी तो वादी वकील ने प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के स्कोप से बाहर होने के कारण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निर्णय करते समय केवल मात्र वादी का दावा देखा जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र जवाब दस्तावेजात इस स्तर पर नही देखे जायेगें प्रतिवादी संख्या 1 को अगर कोई आपत्ति है तो प्रतिवादी संख्या 1 जवाब प्रस्तुत कर उक्त आपत्ति उठा सकता है। जिसका निस्तारण तनकीयात कायम किया जाकर किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रकरा में अपना जवाब दावा प्रस्तुत नही कर केवल मात्र मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाये गये प्रश्न तथ्य के प्रश्न है जिसका निर्णय जवाब दावा के अनुसार तनकी बनाई जाकर दोनो पक्षो की साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के पश्चात ही तय किया जा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सकता है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के तहत केवल मात्र विधिक प्रश्न ही निस्तारित किये जा सकते है।

मदवार जवाब

प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 पत्रावली एवं रिकोर्ड से संबंधित है जवाब की मोहताज नही है, प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार से वर्णित है, असत्य है अस्वीकार है। वादग्रस्त सम्पति पर वादी का अपने हिस्से पर परिवार सहित निर्बाध कब्जा है। राजस्व कर्मचारियों के गुमराह कर असत्य तथ्य बता कर वादी के साथ छल और कपट से करवाया गया विभाजन प्रारम्भ से ही शून्य तथा निष्प्रभावी है। वादी के द्वारा घोषणा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के हित गुणावगुण पर तय हो जायेंगे। दावे के पठन मात्र से ही यह साबित है कि प्रकरण अपील योग्य नहीं होकर दावा किया जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 असत्य एवं अस्वीकार है। वादी पुनः विभाजन नहीं करवा रहा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा छल एवं कपट पूर्वक की गयी मिथ्या कार्यवाही को शून्य करवाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का झकासमा करवाना चाहता है। माननीय न्यायालय को घोषणा व तकासमा का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 कानूनी है जवाब की मोहताज नही है। जवाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कैश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे सहित खारिज करने की कृपा करें।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है, जिसको आपत्ति है तो अपील कर रिमाण्ड करा सकता है दुबारा बंटवारा किया जाना संभव नही है, दावा वादी ने न्यायालय का समय खराब करने की नियत से पेश किया गया है जो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज फरमाया जावे। जवाब बहस में वकील वादी का खंडन करते हुये कथन किया कि दावा सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान को है अगर सुनने का अधिकार नही है तो जवाब दावे मे उठा सकता है। दावे में केवल अभिवचन देखने है जो दावा घोषणा खातेदारी का है। तकासमा प्रशासन गावों के संग किया गया है जो फैसला प्रशासन संग के दौरान गलत हो गया जिसको सुनने का अधिकार श्रीमान को है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही कर दावे को डिले करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसे खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो दावा वादी ने वर्ष 2013 में वादग्रस्त भूमि का तकासमा प्रशासन गांवो के संग किये गये के विरूद्ध पेश किया गया है दवे में स्वयं वादी ने उक्त दावा सहमति से किया जाना अंकन किया गया है जब स्वयं वादी द्वारा सन् 2013 में प्रशासन संग द्वारा निर्णय किया जाना स्वीकार है फिर भी निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की वादी को पीडा है तो उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील किये जाने का अधिकार सुरक्षित है क्योंकि उक्त तकासमा प्रशासन गावों के दोरान सभी की सहमति से किया गया है जिसे न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सभी की उपस्थिति में किया गया है जिसे पुनः न्यायालय नही सुन सकता है। वादी उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलीय कोर्ट में अपील किये जाने हेतु स्वतन्त्र है इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की परिधि में आने से स्वीकार किया जाता है प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का स्वीकार किये जाने से दावा वादी खरिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
13.7.20

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू





Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.02.18 16:16:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: